न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रार्थना पत्र संख्या 03/2024 (2024/3)

प्रार्थी :–

राज्य सरकार जरिये पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय (प्रथम) जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री मोहम्मद रईस पुत्र श्री तैयुम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सिंधियों का मौहल्ला, किला रोड़ नागौरी गेट, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के क्रम में।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता प्रताप सिंह राठौड़ (अप्रार्थी की ओर से)

–: **आदेश** :–   **दिनांक :– 29.07.2024**

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पुष्पराज पालीवाल, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत अप्रार्थी मोहम्मद रईस पुत्र श्री तैयुम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सिंधियों का मौहल्ला, किला रोड़ नागौरी गेट, जोधपुर के विरूद्व पेश करते हुए जाहीर किया कि श्रीमान जिला रसद अधिकारी जोधपुर के मौखिक निर्देश पर दिनांक 20.03.2024 को हमराह मानवेन्द्र सिह प्रवर्तन निरीक्षक के साथ संजीवनी अनन्ता के पास, मानजी का हत्था पावटा में एक दुकान पर अवैध गैस सिलेण्डर रिफिलिंग की सूचना मिलने पर जांच के दौरान दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक ईलेक्ट्रिक कांटा एवं एक गैस भरने की मशीन पाई गई। अप्रार्थी से उक्त गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्रीयों के भण्डारण बाबत [illegible] कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया एंव ना ही कोई कागजात [illegible] जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर,1 इलेक्ट्रिक कांटा एवं 1 गैस भरने की मशीन का अभिग्रहण किया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:13 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मारवाड़ गैस सर्विस, जोधपुर के प्रतिनिधि को सूपूर्दगी में दिये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या (1)	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक (2)	सरकारी तेल कम्पनी का नाम (3)	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टैयर वेट किग्रा में (4)	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में (5)	शुद्ध गैस का भार (5–4) (किग्रा में)
1.	948717	BPCL	15.700	22.0	6.300
2.	910689	BPCL	16.0	17.00	1.000
3.	876875	BPCL	15.9	16.50	0.600

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा दूकान में अवैद्य रूप से गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं रिफिलिंग का कृत्य द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 ईलेक्ट्रिानिक कांटा व 01 गैस भरने वाली मशीन को राज्यसात करने एवं सिलेण्डरों में भरी हुई गैस का अंतरिम निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रताप सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता की ओर से दिनांक 02.07.2024 को जवाब पेश किया तथा बहस सुनी गई। पत्रावली दिनांक 29.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता ने लिखित जवाब पेश कर बतलाया कि प्रार्थी दिनांक 20.03.2024 को अपनी रिपेयरिंग की दुकान पर गाड़ियों के रिपेयर सम्बन्धित कार्य कर रहा था। जिला रसद अधिकारी मय टीम अचानक दुकान पर आये तथा जांच पड़ताल के दौरान मौके पर मिले 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिक कांटा व गैस रिफिलिंग की मशीन लेकर चले गये जो कि मेरे मिलने वालों की है तथा गैस एजेन्सी से भरवाकर मेरे वहां पर रखी थी जो कि शाम को अपने घर वापस लेकर जाने वाले थे। इलेक्ट्रिक कांटा प्रार्थी के रिपेरिंग की दुकान में नाप तौल करने तथा सामान को तोलने के प्रयोग में लाये जाने का तथा रिपेरिंग की दुकान पर रिपेरिंग सम्बन्धित खामियों का पता लगाने हेतु गैस भरने की मशीन का प्रयोग लिये जाने का कथन किया। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न गैस कनेक्शन [illegible] की फोटोप्रति प्रस्तुत कर जब्तशुदा सामान को लौटाये जाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

साथ–साथ 01 गैस रिफिलिंग मशीन तथा 01 ईलेक्ट्रानिक कांटा पाया गया। मौके पर उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के कोई वैध कागजात पेश नहीं किये गये। द्वितीयतः घरेलु गैस टंकियो से अवैध रूप से अन्य टंकियो में गैस रिफिलिंग मशीन से रिफिलिंग करने तथा टंकियो का भण्डारण करने बाबत वैध लाईसेन्स के सम्बन्ध में पूछा तो मोहम्मद रईस ने अपने पास कोई वैध लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अन्य सिलेण्डरों में गैस भरने का अवैध कृत्य किया जा रहा था। अवैध गैस सिलेण्डर संग्रहीत रखने व बिना वैध अनुज्ञा पत्र उनका उपयोग करने पर अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4(a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए उपरोक्त जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 गैस रिफिलिंग मशीन तथा 01 ईलेक्ट्रानिक कांटा को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें। गैस सिलेण्डरों से प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे। प्रकरण में जब्तशुदा एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व गैस भरने में प्रयुक्त रिफिलिंग मशीन को नीलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:24:13 IST
Reason: SelfAttested